तारीख हुक्म	जयदेव सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) सू.अ.अपील संख्या 213/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.22	अपीलार्थी जयदेव सिंह मंडलवात, निवासी 123सी, सुभाष चौक, रातानाडा, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 में उसके द्वारा (1) तहसील पीपाड़ शहर के राजस्व गांव पाबूनगर और चौढा में दिनांक 27.11.2017 से 29.11.2017 के दौरान में कृषि भूमि का बेचान कितने लोगों ने किया व गावं में कौन से खसरे की भूमि का बेचान हुआ और किस व्यक्ति ने किसको बेची, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	